

E-News Letter

January 2018

MUNICIPAL COUNCIL, SAWAI MADHOPUR



E-News Letter/Jan. 2018



1.o Prologue

Providing basic services (e.g. water supply, sewerage, urban transport) to households and build amenities in cities which will improve the quality of life for all, especially the poor and the disadvantaged is a national priority.

The Committee estimated that Rs. 85.00 crore was required for creation of urban infrastructure, for services, such as water supply, sewerage, storm water drains, Urban Transport, Green space and parks/Innovative Projects. Moreover, the requirement for Operation and Maintenance (O&M) was separately. Learning's from the earlier Mission have shown that infrastructure creation should have a direct impact on the real needs of people, such as providing taps and toilet connections to all households.

This means that the focus should be on infrastructure creation that has a direct link to provision of better services to people and this was explicitly stated by the President of India in his speeches to the Joint Sessions of the Parliament on 9 June, 2014 and 23 February, 2015. Therefore, the purpose of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) is to (i) ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage connection; (ii) increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open spaces (e.g. parks); and (iii) reduce pollution by switching to public transport or constructing facilities for non-motorized transport (e.g. walking and cycling).

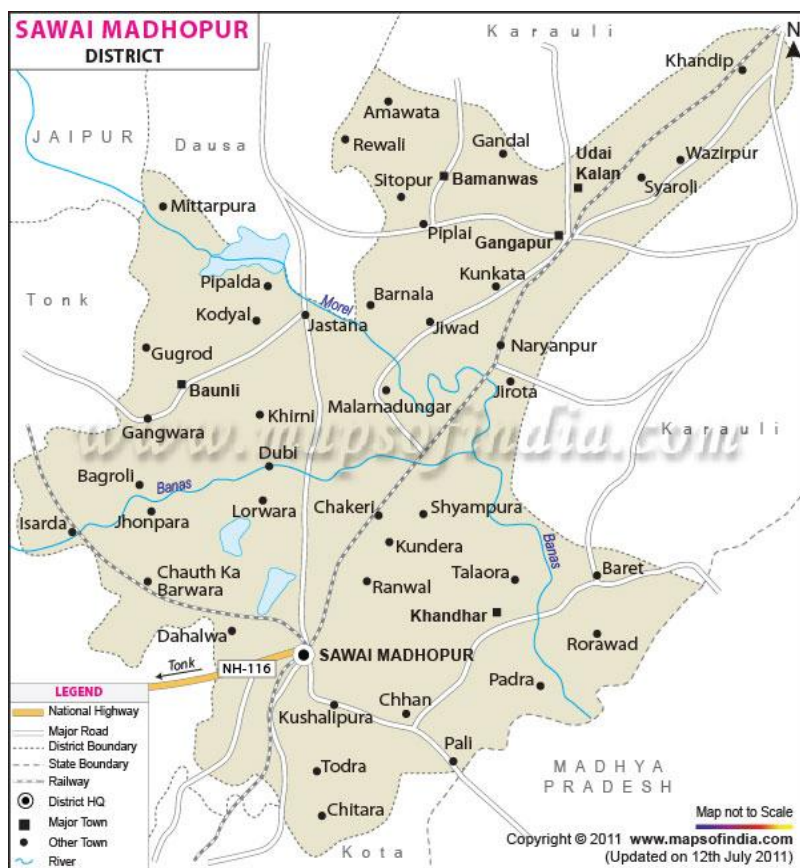
All these outcomes are valued by citizens, particularly women, and indicators and standards have been prescribed by the Ministry of Urban Development (MoUD) in the form of Service Level Benchmarks (SLBs). However, the pursuit of better outcomes will not stop with the provision of taps and sewerage connections to all (universal coverage). Other benchmarks will be targeted following a step-by-step process after achieving the benchmark of universal coverage. Such a gradual process of achieving benchmarks is called "incrementalism". This does not mean that other SLBs are less important, but that in the incremental process SLBs are achieved gradually according to National Priorities. In the case of urban transport the benchmark will be to reduce pollution in cities while construction and maintenance of storm water drains is expected to reduce, and ultimately eliminate, flooding in cities, thereby making cities resilient.

Earlier, the MoUD used to give project-by-project sanctions. In the AMRUT this has been replaced by approval of the State Annual Action Plan once a year by the MoUD and the States have to give project sanctions and approval at their end. In this way, the AMRUT makes States equal partners in planning and implementation of projects, thus actualizing the spirit of cooperative federalism. A sound institutional structure is the foundation to make Missions successful. Therefore, Capacity Building and a set of Reforms have been included in the Mission. Reforms will lead to improvement in service delivery, mobilization of resources and making municipal functioning more transparent and functionaries more accountable, while Capacity Building will empower municipal functionaries and lead to timely completion of projects.

2.0 City Profile

Sawai Madhopur district is located between 25°45' and 26°41' North latitudes and 75°59' and 77°0' East longitudes. It is located in Eastern Rajasthan, bordering Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujrat, and covers an area of 5042.99 sq.km which is 1.50 percent of physical area of Rajasthan state. The district is part of Bharatpur Division and is divided into five sub-divisions namely: Karouli, Sawai Madhopur, Gangapur City, Hindaun and Khandar. Administratively the district is divided into 8 tehsils and 8 development blocks. Total numbers of villages in the district are 747 and urban settlements are 8. Rural and urban population of the district is 11.90 lakh persons and 1.45 lakh persons respectively.

The Ranthmbhore ranges are spread all over the district. The plains are very fertile.



2.2 About the city

Sawai Madhopur, a city and a municipality in Rajasthan state of Eastern India, lies on the banks of Banas and Chambal River, a tributary of the Banas, and is the administrative headquarters of Sawai Madhopur District. It was former capital of the Sawai Madhosingh of Jaipur State. Fiercely independent, the fort of Sawai Madhopur situated at the top of a hill of Ranthmbhore, is still intact. It is one of the largest forts in Asia. Apart from its historical importance, the city is famous for numerous temples, including Ganesh Temple. The city is also known for illustrious historical figures like Raja Hammir, Bhairu Darwaja, etc. The city is famous for industries: Wood Toys, Pottery Painting, Handicraft etc.

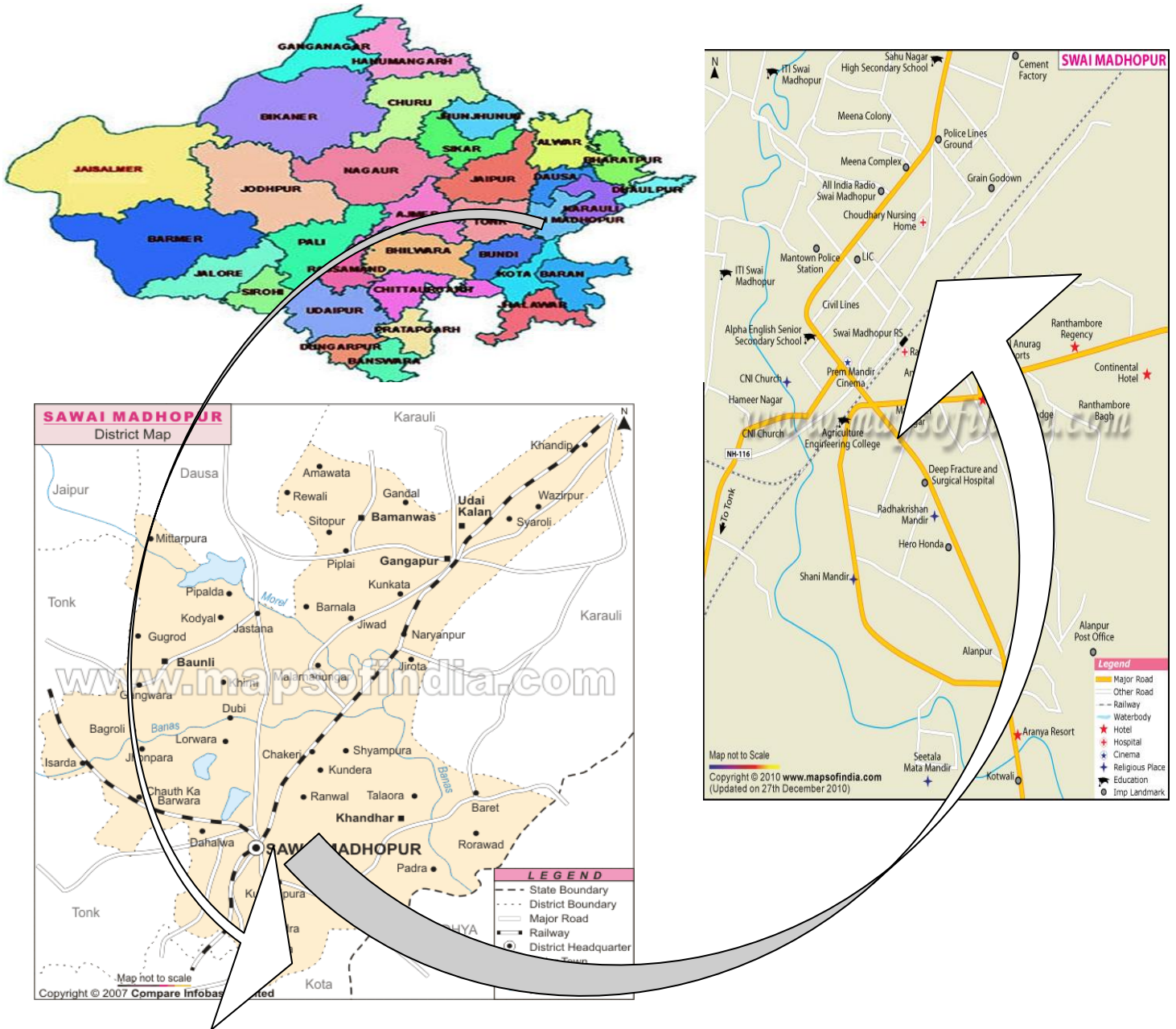
Master Plan- Sawai Madhopur

The master plan of Sawai Madhopur city is prepared for the year 2001 to 2016. Sawai Madhopur town spreads over an area of 59.08 sq.km. Out of some part include hillocks, water bodies, agriculture land etc. Rest of the area is covered with water bodies, fort, agriculture, and research and mining lands.

Railway has sufficient land under their use and the regional roads cross through this town.

2.2.1 Location and Regions Setting

The city is located in the southern part of the state of Rajasthan on 25°45' and 26°41' North latitudes and 75°59' and 77°0' East longitudes. It is situated beside a high hill near the banas River on banks of river Chambal, in the North–East of Aravali Mountains.



2.2.2 Linkage and Connectivity

Sawai Madhopur is well connected from all sides, through rail and road. The Golden Quadrilateral Road Project and North-South-East-West corridor expressways pass through Sawai Madhopur. Mega Highway and State Highway pass through the city.

The bus stand (bus depot) of Sawai Madhopur is located at the conjuncture of the old and new city. Frequent bus services (government as well as private) are available for Jaipur, Kota, Alwar, Dausa, Tonk, Shyampur, Ajmer, Bundi, Udaipur and other major cities.

Connectivity through Railways

Sawai Madhopur railway station is a busy junction of western Indian Railways. It has direct rail links with all major north-western Indian cities including Mumbai, Delhi, Ahmadabad, Ajmer, Udaipur, Jaipur, Kota Bhopal and Indore.

Connectivity through Airways

The nearest airport is Jaipur (Sanganer Airport). The airport is located about 130km away from Sawai Madhopur.

2.2.3 Topography, Natural Hazardousness.

The Sawai Madhopur region is located on the Arawali Range Plateau. The whole plateau acts as a water catchment.

Natural Hazards – Earthquake: Sawai Madhopur town lies in low damage risk zone II. The area is less prone to earthquakes as it is located on comparatively stable geological plains, as per evaluation of the available earthquake zone information.

3.0 Demography

3.1 Population

As per provisional reports of Census of India, population of Sawai Madhopur in 2011 is 1,20,998 of which male and female are 63,223 and 57,775 respectively.

3.2 Sex Ration

In 2011, sex ratio of Sawai Madhopur city is 897.

Area	Sex Ration (Overall)	Sex Ration (Children 0-6 years)
India	940	914
Urban Area	926	902
Rajasthan	926	869
Sawai Madhopur	897	897

3.3 Literacy rate

In 2011, Average literacy rate of Sawai Madhopur city is 65.39 percent of which male and female literacy is 81.51 and 47.51 percent

Area	Total	Male LR	Female LR
India	74.04%	82.14%	65.46%
Urban Area	84.90%	89.67%	79.92%
Rajasthan	67.66%	80.51%	82.66%
Sawai Madhopur	65.39%	81.51%	47.51%

नगर परिषद के कार्य :-

1. मुख्य नगर पालिका कृत्य :- (1) प्रत्येक नगर पालिका का कर्तव्य होगा कि वह अपने नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मामलों के लिये युक्तियुक्त उपबंध और समुचित व्यवस्था करें, अर्थात् :-

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र सितम्बर 11, 2009 9 (75)

- (क) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल-निकास और मल वहन, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तथा मलनालियों और ऐसे स्थानों, जो निजी सम्पत्ति नहीं हों और जो जनता के उपयोग के खुले हों, चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका में निहित हो या नहीं, की सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति को हटाना और सभी न्यूसेंसो को समाप्त करना।
- (ख) गन्गी, कूड़ा करकट, विष्टा, दुर्गन्ध या किसी भवन या भवनों में या उनसे संबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, नलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिये अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना।
- (ग) सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना।
- (घ) आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की संरक्षा करना।
- (ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना।
- (च) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों तथा उन जगहों में, जो निजी सम्पत्ति नहीं है और जो जनता के उपयोग के लिये खुली है, चाहे ऐसी जगहें नगर पालिका में निहित हो या न हो, बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना।

9 (76) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)

- (छ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना।
 - (ज) मृतकों तथा मृत जानवरों को शवों के निर्वहन के लिये स्थानों का अर्जन, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा विनियमन करना।
 - (झ) सार्वजनिक मार्गों, पुलियाओं, नगर पालिका सीमा चिन्हनों, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मलनालियाँ, जलनिकास सकर्मों, मलनाली सकर्मों, स्नानागारों, धोने के स्थानों, जल-स्त्रोतों, तालाबों, कुआँ, बाधों और तत्समान अन्य सकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथाउनका अनुरक्षण करना।
 - (ञ) सार्वजनिक तहारतों, शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण करना।
 - (ट) मार्गों का नामकरण और घरों का संख्याक न करना।
 - (ठ) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना।
 - (ड) नगर पालिका के भीतर ऐसे कुत्तों के परिरोध और परिरक्षण के लिये व्यवस्था करना, जिनके संबंध में इस अधिनियम की धारा 249 के अधीन कार्यवाही की जानी है।
 - (ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये या किसी नगरीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये नगर पालिका द्वारा यथा अपेक्षित पुलिस अधिकारियों के मद्देन वेतन का और उनके आकस्मिक व्यय का भुगतान करना और ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जो
- भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 11, 2009 9 (77)
- पुलिस से संबंधित प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य सरकारर द्वारा अपेक्षित किया जाये।
- (ण) व्यक्तियों की संरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और लाके सुरक्षा के संबंध में ऐसे कृत्य और कर्तव्य, जो विहित किये जायें, करने के लिये स्वयंसेवी बल का गठन करना।
 - (त) विष्टा और कूड़ाकरकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये व्यवस्थायें करना।
 - (थ) कांजी हाउस स्थापित करना और उनका रखरखाव करना।
 - (द) जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देना।
 - (न) सडकों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनों के लिये परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर-ब्रिजों, सब-वे फेरीज के निर्माण और रखरखाव सहित संचार प्रणाली और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना।

- (प) यातायात अभियांत्रिकी याजे नाओं, मार्ग—फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपांग तैया करना।
- (फ) मानव बस्ती के लिये नये क्षेत्रों के याजे नाबद्ध विकास के लिये व्यवस्था करना।
9 (78) राजस्थान राज पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)
- (ब) उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भू-दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिये उपाय करना।
- (भ) समुदाय के लिये महत्वपूर्ण आंकड़ों और डाटा का संग्रह करना।
- (म) जिला या क्षेत्रीय विकास योजना, यदि कोई हो, के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्कीमों को समेकित करना।
- (य) शैक्षणिक खुले संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, (यक) नगर पालिका के वित्त और उसके द्वारा हाथ में लिये गये विकास कार्य और अन्य गतिविधियों के बारे में तात्त्विक और महत्वपूर्ण सूचनाएँ हितधारकों और आम जनता को प्रकट करना, (यख) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाना और (यग) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यथा—उपबंधित अन्य कानूनी या नियामक कृत्यों का पालन करना।
- (2) नगर पालिका अपनी प्रबंधकीय तकनीकी वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता और नगरीय क्षेत्र में विद्यमान वास्तविक दशाओं को भाग 4 (क) राजस्थाना राज—पत्र सितम्बर 11, 2009 9 (79) ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त में से किन्हीं कृत्यों को नहीं करने या उनकी पालना को स्थगित करने का विनिश्चय कर सकेगी।
- (3) राज्य सरकार नगर पालिका को यथापूर्वोक्त में से किन्हीं का यदि ऐसे कार्य का जिम्मा नगर पालिका द्वारा नहीं लिया गया है या उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया है, पालन करने का निर्देश दे सकेगी।
- (4) नगरपालिका यथापूर्वोक्त कृत्यों में से किसी के भी निर्वहन के लिये अपेक्षित अवसरचना की, या तो स्वयं या धारा 154 में निर्दिष्ट करार के अधीन किसी भी अभिकरण के माध्यम से योजना बना सकेगी, उसका सन्निर्माण प्रवर्तन, रखरखाव या प्रबंध कर सकेगी।

2. अन्य नगर पालिका कृत्य :- नगर पालिका अपने मुख्य कृत्यों, जो नगर पालिका निधि पर प्रथम प्रभार होंगे के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित में से किन्हीं भी कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी, या उनके निष्पादन को प्रोत्साहित कर सकेगी, अर्थात्—

- (प) पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में
- (क) बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रखरखाव करना।
- (ख) पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिये पौधशालाओं की स्थापना और रखरखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि।
- (ग) पुष्प—प्रदर्शनियां का आयोजन और नागरिक संस्कृति के रूप में फलू उगाने को बढ़ावा देना और
9 (80) राजस्थान राज पत्र सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)
- (घ) प्रदूषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिये उपायों को प्रोत्साहित करना।
(पप) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में।
(क) सक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिये जन टीकाकरण अभियान।
(ख) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार।
- (ग) सभी सार्वजनिक तालाबों का रखरखाव और सभी निजी तालाबों, कुओं और जलापूर्ति के अन्य स्रोतों के पुर्न उत्खनन मरम्मत और रखरखाव का ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जिन्हें नगर पालिका ठीक समझे, विनियमन और
- (घ) प्रवचनों, सेमीनारों और सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की नागरिक चेतना की प्रोन्नति।

- (पप) शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में।
- (क) नागरिक शिक्षा, प्राद्वै, शिक्षा सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति।
- (ख) संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेले कूदे और थियेटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उनके लिये अवसंरचना की प्रोन्नति।
- (ग) नगरीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि।
- (घ) नगरपालिका पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं और स्मारिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का क्रय और पत्रिकाओं, मैगजीनों और समाचार पत्रों का ग्राहक बनना।

भाग 4(क) राजस्थान राज पत्र सितम्बर 11, 2009 9 (81)

- (ड) समुचित रीति से मूर्तियाँ, चित्र और तस्वीर स्थापित करना।
- (च) कला—दीर्घाओ और वानस्पतिक या प्राणी संग्रहों की व्यवस्था, स्थापना और रख—रखाव,
- (छ) ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानों और संस्मारकों का परिरक्षण और रख—रखाव, और
- (ज) सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा—भवनो का सन्निर्माण, स्थापना, रख—रखाव करना या रख—रखाव में योगदान करना, पञ्च लाखों के कल्याण के क्षेत्र में
- (क) सूखा, बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना और रख—रखाव नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य,
- (ख) अस्पतालों, औषधालयों, आश्रयों, उद्धार गृहों, प्रसूति गृहों और बाल कल्याण केन्द्रों का सन्निर्माण या रख—रखाव या उनकी सहायता के लिए प्रावधान
- (ग) बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान,
- (घ) हाथ—सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,
- (ङ) सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था और स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलापों का समन्वय, और

9 (82) राजस्थान राज—पत्र, सितम्बर 11, 2009 भाग 4 (क)

- (च) ऐसी सूचना के प्रसार के लिए अभियान, जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो, और
- (अ) सामुदायिक सम्बन्धों के क्षेत्र में
- (क) विशिष्ट व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने
- (ख) मेलो और प्रदर्शनियों की व्यवस्था और प्रबन्ध करना, और
- (ग) लोकहित की सूचना का प्रसार।

अमृत योजना— अमृत योजना में सवाई माधोपुर नगरपरिषद द्वारा प्रस्तावों के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के लिये केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत SAAP अनुसार सवाई माधोपुर को निम्नानुसार मदवार स्वीकृति दी गई।

1. वाटर सप्लाई —	50 करोड़ रुपये
2. सीवरेज एण्ड सैपटेज मैनेजमेन्ट —	24 करोड़ रुपये
3. ग्रीन स्पेस एण्ड पार्कस/इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स —	3.50 करोड़ रुपये
4. अरबन ट्रांसपोर्ट —	2.82 करोड़ रुपये
कुल राशि —	80.32 करोड़ रुपये
1. वाटर सप्लाई — उक्त कार्य हेतु पीएचईडी सवाई माधोपुर को कार्यकारी एजेन्सी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। इस कार्य की डीपीआर संबंधित कार्य वेबकोस कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य हेतु 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।	
2. सीवरेज एण्ड सैपटेज मैनेजमेन्ट — सवाई माधोपुर शहर में सीवरेज कार्य अन्तर्गत आरयूआईडीपी द्वारा प्रथम चरण में शहर के लगभग 40 प्रतिशत भाग में सीवर लाईन का कार्य किया जा चुका है व 10 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण सूरवाल में किया जा चुका है। आरयूआईडीपी द्वारा द्वितीय चरण में शेष शहर में सीवर लाईन डालने के कार्य की	

डीपीआर बनाई जा चुकी है। द्वितीय चरण का कार्य 'ADB द्वारा स्वीकृत योजनान्तर्गत करवाया जायेगा जिसकी राशि लगभग 117.00 करोड है। इस डीपीआर अन्तर्गत शेष रहे सीवरेज व सैपटेज का कार्य अमृत योजनान्तर्गत करवाया जायेगा। इस कार्य हेतु राशि 24.00 करोड का प्रावधान रखा गया है।

3. स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज — सवाई माधोपुर शहर में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज हेतु परिषद द्वारा डीपीआर तैयार कराई गई है। उक्त डीपीआर राशि 187.00 करोड की कंसलटेन्ट ग्रीन सिटी सर्वेयर प्रा०लि० जयपुर द्वारा बनवाई गई है। यह डीपीआर रूडसीको कार्यालय जयपुर को एप्रेसल हेतु भिजवायी गई थी परंतु रूडसीको कार्यालय द्वारा **SAAP 2015-16** में स्वीकृत नहीं होने के कारण पुनः नगर परिषद सवाई माधोपुर को लौटा दिया गया है।
4. अरबन ट्रांसपोर्ट— सवाई माधोपुर शहर के अरबन ट्रांसपोर्ट के कार्य की डीपीआर 2.82 करोड की **10th SLTC** की मिटिंग दिनांक 17.05.2017 में स्वीकृत की जा चुकी है। जिसकी बिड एवं बीओक्यू **PDMC** द्वारा तैयार किया जा रहा है माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार उक्त कार्य में संशोधन चाहा गया है जो पत्र द्वारा स्वीकृति हेतु श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय को निवेदन किया जा चुका है। उक्त कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक 08.12.2017 को खोली जाकर कार्यादेश दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
5. ग्रीन स्पेस एण्ड पार्क — सवाई माधोपुर शहर में ग्रीन स्पेस अन्तर्गत पार्कों के विकास कार्य हेतु 3.50 करोड की निविदा आमंत्रित की चुकी है। उक्त निविदा की तकनीकी बिड खोली गई थी। जिसमें प्राप्त दो बिड में से एक निविदादाता सफल एवं एक निविदादाता असफल रहा है। एकल सफल निविदादाता मै० पदमावती एन्टरप्राइजेज जयपुर की फाईनेशियल बिड दिनांक 04.11.2016 को सांय 4.00 बजे खोली गई। जिसकी दर बीओक्यू-1 में 6.93प्रतिशत कम राशि 32569027.42 रुपये एवं बीओक्यू-2 में राशि 2585772.00 रुपये प्राप्त हुई है एवं परिषद के पत्र क्रमांक 21117 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा मै० पदमावती एन्टरप्राइजेज जयपुर को पार्कों के विकास कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है। मौके पर कार्य प्रगति पर चल रहा है।
1. **स्वच्छ भारत मिशन:**— स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत मिशन अवधि (2015-19) में परिषद में प्राप्त लक्ष्य 5113 है एवं शौचालय के आवेदन अपलोड 5513 किये जा चुके हैं जिसमें 5325 परिवारों को प्रथम किश्त 4000/-रुपये जारी की जा चुकी है एवं 1541 परिवारों को द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है एवं 91 शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है एवं 4460 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 45 ओडीएफ वार्ड घोषित किये गये हैं एवं 101 आवेदन पत्र निरस्त किये गये एवं 279 आवेदन पत्र समाप्त किये गये। अब तक 86.36प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

नगर परिषद स.मा. द्वारा स्वीकृत 06 सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है एवं वर्तमान में निम्न सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य प्रगति पर है —

1. सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हरिजन मोहल्ला शहर में कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य गौशाला सीमेन्ट फैक्ट्री में कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य दुर्गा मंदिर के पास सीमेन्ट फैक्ट्री में कार्य पूर्ण हो चुका है।
4. सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य आलनपुर का कार्य पूर्ण हो चुका है।
5. सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सीमेन्ट फैक्ट्री हाउस के पास कार्य पूर्ण हो चुका है।
6. यूरिनल निर्माण कार्य खरादी मोहल्ला एवं यूरिनल मरम्मत कार्य हरसहाय जी का कटला शहर स०मा० का कार्य पूर्ण हो चुका है।

सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट — यह है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक प. 12 सोलिड वेस्ट/न०पा./ राजस्व/08/ 4904 दिनांक 6.8.2015 द्वारा नगर परिषद सवाई माधोपुर को ग्राम घुडासी के खसरा नं० 704 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 705 रकबा 1.84 है०, खसरा नं० 707 रकबा 2.79 है०, खसरा नं० 708 रकबा 0.20 है०, खसरा नं० 720 रकबा 1.84 है०, खसरा नं० 761 रकबा 3.19 किता 6 कुल रकबा 10.06 है० भूमि सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्थापना के लिये आवंटित की गई है। उक्त पत्र अनुसार भूमि के हस्तान्तरण के बदले श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 29,56,481/-रुपये बजट मद 0029-भू-राजस्व में जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। वर्तमान में नगर

परिषद सवाई माधोपुर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10786 दिनांक 14.11.16 के द्वारा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय को स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत उक्त स्थान की चारदीवारी निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन मद से 01 करोड़ रुपये व्यय एवं 29,56,481/—रुपये बजट मद 0029—भू—राजस्व में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर द्वारा पुनः निविदा निकाली जा चुकी है।

कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी—

Notice inviting request for proposal RFP कार्यालय पत्र क्रमांक 920—25 दिनांक 30.04.15 द्वारा जारी किया गया। श्रीमान् निदेशक एवं शासन उपसचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक 23305 दिनांक 19.10.15 के द्वारा state Level Empowered Committee में नगर परिषद के प्रस्ताव अनुसार M/s Etech Project, Bikaner द्वारा न्यूनतम प्रस्तुत दरों की स्वीकृति हेतु अभिशंषा की गई। उक्त फर्म को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 11978 दिनांक 05.06.16 के द्वारा Letter of acceptance जारी किया गया। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9022—32 दिनांक 26.09.16 के द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय को ग्राम घुडासी के समीप कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फेसिलिटी हेतु चिन्हित भूमि M/s Etech Projects द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने तथा भूमि बहाव क्षेत्र के मध्य, जोहड के समीप होने के कारण पर्यावरण विभाग भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देशानुसार पुनः विचार कर उपयुक्त भूमि नगर परिषद स0मा0 को आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 19725—29 दिनांक 01.03.2017 एवं 301—4 दिनांक 11.04.2017 एवं 2371—2374 दिनांक 17.5.2017 के द्वारा कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फेसिलिटी हेतु राजस्व ग्राम कुस्तला में खसरा नं0 4294/5397 में 1.80 है0 भूमि उपयुक्त पाये जाने पर नगर परिषद को आवंटन करने हेतु श्रीमान् तहसीलदार सवाई माधोपुर को निवेदन किया गया।

DAY-NULM

- (1) **स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP)-** — इस घटक के तहत शहरी निर्धन व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार शुरू करने हेतु 2.0 लाख तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नगर परिषद सवाई माधोपुर को 250 का लक्ष्य आवंटित किया गया था।
2. **सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास (SM&ID)-** 194 समूहों का निर्माण कर सभी का खाता खुलवा दिया गया है तथा 100 समूहों को रिवोल्विंग फण्ड दे दिया गया है। प्रति समूह 10000/—रुपये एवं 12 ALF एरिया लेवल फेण्डरेशन बना दिये गये हैं।
3. **शहरी निराश्रितों हेतु आश्रयस्थल (SUH)-** इस घटक के तहत गरीब निराश्रित लोगों के लिए आश्रय हेतु दो आश्रयस्थलों का निर्माण करवाया जाना था। इसी क्रम में नगर परिषद, सवाई माधोपुर द्वारा 30—30 लाख रुपये के दो आश्रयस्थलों का निर्माण करवाया जा चुका है। जिसमें
 1. एक खण्डार बस स्टेण्ड सिटी सवाई माधोपुर (संचालन शुरू)
 2. नगर परिषद, परिसर सवाई माधोपुर (संचालन शुरू)
 नगर परिषद, स.मा. द्वारा गौरव पथ पर संचालित आश्रयस्थल को भी NULM योजना के तहत संचालित किया जा रहा है।
4. **कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P)-** Day-NULM योजना के ESTP घटक के तहत वर्तमान में आरएसएलडीसी को 220 आवेदन पत्र भिजवाये जा चुके हैं। जिसमें 104 अभ्यर्थी वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सीपट जयपुर में वर्तमान में 34 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं और 24 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

5. **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (SUSV)**- इस घटक के तहत पंजीकृत एवं अपंजीकृत शहरी पथ विक्रेताओं के सम्बंध में क्रमिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाता है तथा पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जाते हैं। प्रत्येक शहर में पथ विक्रेताओं का संग्रह एवं डाटाबेस तैयार एवं संधारण किया जाता है। स्थानीय नगर निकायों को विक्रयकृत नगर नियोजन करने और पथ विक्रय के लिए जगर उपलब्ध करवाने हेतु सक्षम बनाया जाता है। इसी क्रम में नगर परिषद द्वारा इन पथ विक्रेताओं का सर्वे करवा लिया गया है जिनमें कुल 1540 लोगो को चिन्हित किया गया है। साथ ही चिन्हित पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रीक सर्वे पूर्ण कर पहचान पत्र जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की गाइडलाइन के अनुसार इस घटक में टाउन वेण्डिंग कमेंटी का गठन नगर परिषद द्वारा कर लिया गया है। इस घटक के सभी कार्य इस कमेंटी के देखरेख में ही सम्पन्न करवाये जाएंगे।

3. **एल.ई.डी. लाईट**— नगर परिषद क्षेत्र में प्रथम फेज में एलईडी लाईटें लगाने हेतु ईईएसएल कम्पनी से एमओयू दिनांक 04.02.15 को हो चुका है। कम्पनी से हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार एलईडी लाईटें 30 दिवस में लगाई जानी थी। कम्पनी के प्रतिनिधि से दूरभाष पर हुई वार्ता अनुसार कम्पनी द्वारा 1.8.15 से कार्य प्रारम्भ किया जाकर 30 सितम्बर तक पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया था। नगरपरिषद क्षेत्र में लगभग 12 हजार लाईटें परिवर्तन होनी है कार्य प्रारम्भ करने हेतु कम्पनी को परिषद द्वारा पत्रांक 1784 दिनांक 27.05.15 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के पत्र क्रमांक 5653 दिनांक 25.01.2016 के द्वारा M/s MIC Electronics Limited को नगर परिषद सवाई माधोपुर क्षेत्र में एलईडी लगाने हेतु कार्यादेश दिया गया। उक्त एजेन्सी माह फरवरी, 2016 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कार्य प्रारम्भ कर 30-45 दिनों में कार्य पूर्ण करना उल्लेखित है। नगर परिषद क्षेत्र में सर्वे अनुसार 6867 पोल पर लगभग 9000 लाईटें लगनी थी। जिसमें से वर्तमान में उक्त एजेन्सी के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 8744 एलईडी लाईटें लगाई गई है तथा 45 वार्डों में से लगभग 25 वार्डों में फेस वायर डाल दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। जो आगामी 20 दिवस में पूर्ण कर लिया जावेगा।

1. **डबल एन्ट्री सिस्टम**— नगर परिषद सवाई माधोपुर में दोहरा लेखा पद्धति में रोकड बही संधारण का कार्य नियमित किया जा रहा है।
2. **रिसोर्स मोबिलाइजेशन**— गृहकर एवं नगरीय विकास कर की वसूली वर्ष 2017-18 में माह जनवरी, 2018 तक लगभग 14,03,844 की वसूली की जा चुकी है।
3. **स्मार्ट सिटी**— स्मार्ट सिटी अन्तर्गत नगर परिषद सवाई माधोपुर शहर शामिल नहीं है।
4. **जी.आई.एस. मैपिंग**— निल
5. **हाउसिंग फार आल**— निल
6. **स्मार्ट राज** :— स्मार्ट राज अन्तर्गत नगर परिषद में सर्वे कार्य किया जा रहा है नगर परिषद की वेबसाइट नियमित रूप से अपलोड की कार्यवाही की जा रही है।

सम्पर्क सूत्र :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्तमान में धारित पद	मोबाईल नम्बर
1.	डॉ० विमला शर्मा	सभापति	9414287734
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	आयुक्त	9828573275
3.	श्री राकेश कुमार शर्मा	अधिशाषी अभियंता	9414030434
4.	श्री पवन कुमार मथुरिया	राजस्व अधिकारी (द्वितीय)	8764292964 7220807464
5.	श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा	सहायक अभियंता	8559827368
6.	सुश्री नीलम कोठारी	सहायक अभियंता (पर्यावरण एवं ठोस कचरा प्रबंधन)	9928999471
7.	श्री मनोज कुमार मीणा	क0अभि0	7568343057
8.	श्री राजप्रताप सिंह राणावत	क0अभि0	8058652628
9.	श्री आशीष कुमार	नगर नियोजन सहायक	9461829577
10.	सुश्री सीमा मीना	राजस्व निरीक्षक	7665044533
11.	सुश्री कल्पना मीना	सहा0राज0 नि0	9413132374
12.	श्री गणेशी लाल शर्मा	राज0 नि0	9462111135
13.	श्री ज्योति सिंह	सहा0राज0 नि0	7976210813

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वर्तमान में धारित पद	मोबाईल नम्बर
14.	श्री अजय सिंह	सहा.अग्नि. अधि.	9413941133
15.	श्री हंसराज बैरवा	क0लेखाकार	9982218218
16.	श्री तारासिंह गुर्जर	क0लेखाकार	
17.	श्री वृजेश सिंह	क0लि0	9928544855 9529559996
18.	श्री इरशादुद्दीन	व0लि0	9929957986
19.	श्री रविन्द्र कुमार मनोहरिया	व0लि0	8561086564
20.	श्री विकास शर्मा	क0लि0	9460628971
21.	श्री सादिक	क0लि0	9352628869 9782080872
22.	श्री धीरेन्द्र सिंह	क0लि0	9694913746
23.	श्री ललित कुमार नागर	क0लि0	9680918891
24.	श्री अशरफ खान	क0लि0	7891624450
25.	श्री रामश्री मीना	क0लि0	7689960321
26.	श्री राजेश कुमार शर्मा	क0लि0	9783653393
27.	श्री सुमेर सिंह गुर्जर	क0लि0	9079383630
28.	श्री गजेन्द्र सिंह राजावत	एसआई मानटाउन	8946931005
29.	श्री कालूराम मीणा	फायरमैन	9461754663
30.	श्री श्याम लाल मीणा	फायरमैन	9680859373
31.	श्रीमती राजेश्वरी सैनी	फायरमैन	9571618367
32.	श्रीमती गीता गुर्जर	फायरमैन	9610544274
33.	श्रीमती ललिता बैरवा	फायरमैन	8107874794
34.	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव	फायरमैन	-
35.	श्री जलील शेख	फायरमैन	7737020377
36.	श्री मोहम्मद तारीक	फायरमैन	-
37.	श्री लोकेन्द्र मीना	फायरमैन	9636259718
38.	श्री अनमीत सिंह	फायरमैन	9667596611
39.	श्री नारायण महावर	फायरमैन	8094716716
40.	श्री अस्मत् अली	फायरमैन	9950159195
41.	श्री रामावतार मीना	फायरमैन	9636172154
42.	श्री साहिल खान	फायरमैन	9667778225
43.	श्रीमती संतोष मीणा	फायरमैन	-
44.	श्री वृजेश चौहल्ला	फायरमैन	-
45.	श्रीमती रीना नागर	फायरमैन	-
46.	श्री हमीद खां	वायरमैन	9460440746
47.	श्री कमरुद्दीन	जमादार	9887326067
48.	श्री राजेन्द्र शर्मा	च0श्रे0कर्म0	9414860381
49.	श्रीमती संतोष मीना	फायरमैन	-
50.	श्री आशिष कुमार जैन	क0लि0	-
51.	श्री राजेन्द्र चौबदार	फायरमैन	-
52.	श्री टीकाराम मीना	फायरमैन	-